रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 449] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 29, 1973/पौष 8, 1895
No. 449] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 29, 1973/PAUSA 8, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December 1973

S.O. 797(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Food), No. S.O. 3180 dated the 28th September, 1970, namely:—

In paragraph 5 of the said notificaion, for the words, figures and letters "by the 31st December, 1973", the words, figures and letters "by the 28th February, 1974" shall be substituted.

[No. 2-1/73--Sugar]

S. V. SAMPATH, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1973

का० आ० 797 (अ).—जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 3180 तारीख 28 सितम्बर, 1970 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त सूचना के पैरा 5 में "31 दिसम्बर, 1973 तक" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "28 फरवरी, 1974 तक" शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं० 2-1/73-शर्करा]

एस० वी० सम्पथ, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974